समक्ष – राजस्व मंडल म॰प्र॰ ग्वालियर, म॰प्र॰

निगरानी 1271-I-15

श्रीमति मालतीबाई आयु 65 साल पति शरदचंद सोनी, पेशा–कृषि,
निवासी अघोरी/बाबा मंदिर के पास–237 त्रिमूर्ति नगर जबलपुर, म॰प्र॰
हाल निवासी– वार्ड क्रमांक 7 रहली, तह॰ रहली, जिला सागर म॰प्र

––– पुनरीक्षणकर्त्ता

॥ विरुद्ध ॥

देवराज आयु लगभग 35 वर्ष तनय उमाशंकर सोनी, निवासी देवलियां मंदिर के पास रहली, तह॰ रहली, जिला सागर म॰प्र॰

––प्रत्यर्थी

" पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म॰प्र॰ भू॰ रा॰ संहिता 1959"

" पुनरीक्षणकर्त्ता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार रहली, तहसील रहली, जिला सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक अ/70– 14–15} जिसका अभी तक कोई मुकदमा नंबर दर्ज नहीं है पर पारित आदेश दिनांक 27॰ 3॰2015 से पीड़ित होकर निम्न पुनरीक्षण निम्न आधारों पर प्रस्तुत करती है। "

श्री ...... द्वारा आज दि. 1.6.15 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

॥ प्रकरण का संक्षेप ॥

1॰ यह कि, पुनरीक्षण का संक्षेप इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी ने ग्राम रहली खास पटवारी हल्का नंबर 21 तहसील रहली, जिला सागर स्थित विवादित भूमि खसरा नंबर 68/2, 68/3, कुल रकबा 0॰809 हे॰ के संबंध में कब्जा के पुर्नस्थापन हेतु एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–250 म॰प्र भू॰ रा॰ संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्त्ता के विरुद्ध पेश किया है, जो विचाराधीन हैं।

2॰ यह कि पुनरीक्षणकर्त्ता ने उक्त प्रकरण में उपस्थित होकर दिनांक 27॰3॰2015 को ही अपनी प्रारंभिक आपत्ति आवेदन पत्र की ग्राह्यता पर इस आशय की प्रस्तुत की थी कि प्रत्यर्थी/आवेदक उक्त भूमियों

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1271-एक/2015 जिला सागर मालतीबाई विरूद्ध देवराज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार रहली जिला सागर के प्रकरण क्रमांक अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27-03-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-06-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 31/2/19 सदस्य	